संख्या-770/2025/687/22-2-2023-17(1294)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेजर सिंह पुत्र श्री लखन सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेजर सिंह पुत्र श्री लखन सिंह, मलेहटा, थाना-मझगवां, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 25.10.2001 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लल्लन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-47/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 148 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, हमीरपुर के आदेश दिनांक 16.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 25.02.2022 तक 09 वर्ष 04 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी बंदी की उम्र 56 वर्ष होने, बंदी द्वारा अपरिहार 09 वर्ष 04 माह 04 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 02 माह 10 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेजर सिंह (बन्दी संख्या-315/2019) पुत्र श्री लखन सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-770/2025/687(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।